(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 782—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—02—2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18/अ—27/2015—2016.

.....

1—सुरेन्द्र कुमार तनय स्व0 अयोध्या प्रसाद
2—सुरेन्द्र मणि तनय स्व0 अयोध्या प्रसाद
3—श्रीमती सियासखी पत्नी स्व0 रामावतार मिश्रा
4—कल्पना 5—सुनीता 6—ऊषा तीनो पुत्री रामावतार मिश्रा
7— काशी प्रसाद पुत्र स्व0 बेटाइयाराम् मिश्रा
समस्त निवासीगण सिरमौर तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—सिया शरण मिश्रा तनय स्व0 भैयालाल
2—नाथूराम मिश्रा तनय श्री भीमसेन मिश्रा
निवासीगण सिरमौर वार्ड न0 14 क्योटी रोड
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
3— भागवत प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व0 बुद्वसेन प्रसाद मिश्र
4— राम नारायण प्रसाद 5— नरेश प्रसाद मिश्रा
6— दिनेश प्रसाद मिश्रा 7— उमेश प्रसाद मिश्रा
पुत्रगण स्व0 रामाधार मिश्रा
8—रामआश्रय प्रसादमिश्र तनय स्व0 झूलाराम मिश्र
9—रहसधारी प्रसाद मिश्र 10— प्रेमलाल मिश्रा
11— दशमत प्रसादमिश्र तीनों पुत्र स्व0 साधूलाल मिर
निवासीगण सिरमौर वार्ड न0 14 क्योटी रोड
सिरमौर जिला रीवा म0प0

—— अनावेदकगण

.....

श्री रमेश पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अना0 क0–1, 2
अनावेदक कमांक 3 से 11 एकपक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–02–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामावतार तनय बेटईराम निवासी सिरमौर द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। पटवारी द्वारा मौके पर तैयार किया गया फर्द बटांक दिनांक 2.7.14 को किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आराजी कमांक 1344, 1710, 1712, 2814, 2867/1, 2988/1, 1349, 1398, एवं 1399 मौजा सिरमौर का तहसीलदार सिरमौर का प्रकरण कमांक 70/अ–27/96–97 में पारित आदेश दिनांक 30.10.14 द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया। इससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी सिरमोर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 4.2.2017 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के वैधानिक पूर्वज बेटाइराम एवं झूलाराम की पैतृक आराजियातों के संबंध में मुताबिक सजरा खानदान हक हिस्से के अनुसार तहसीलदार सिरमोर सर्किल गिर्द के समक्ष चले बटवारा प्रकरण कमांक 70/अ–27/96–97 में पारित आदेश दिनांक 30.10.14 के के विरूद्ध गैरनिगराकार कमांक 1 द्वारा संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी 11 माह 12 दिन के विलंब से अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें धारा–5 परिसीमा

अधिनियम के अन्तर्गत यह अनुरोध किया गया कि आदेश की जानकारी नियुक्त अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई जिसमें रामावतार एवं बुद्वसेन की मृत्यु हो जाने पर उनके विधि वारिसों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था, जानकारी होने के आधार पर नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी के अंतर्गत अवधि के अन्दर है जिससे विलंब क्षम्य किया जाकर अपील का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जावे। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक उपस्थित होने के उपरांत धारा–5 का विधिवत जवाब प्रस्तुत किया जाकर यह आपत्ति की गई कि तहसीलदार द्वारा वैधानिक रूप से सुनवाई किये जाने के उपरांत प्रश्नाधीन आदेश गैरनिगराकार कमांक 1 की जानकारी के अन्तर्गत पारित किया गया था, जिसके बावजूद भी गैरनिगराकार कमांक 1 पुनः विवाद को जन्म देने के उददेश्य से पूर्णतः झूठे तथ्यों पर आधारित होकर यह अपील जानबूझ कर विलंब से प्रस्तुत की गई है, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण 18 साल तक चलता रहा और उसमें अपीलार्थी स्वयं अधिवक्ता सहित उपस्थित रहा। इसके बावजूद भी अधिवक्ता के संबंध में जो आक्षेप लगाये जाकर अपील की गई है, उससे ही स्पष्ट है कि सर्वप्रथम अनावेदक कमांक–1 को अपने अधिवक्ता के विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु वैधानिक कार्यवाही किये बिना जो कारण विलंब के संबंध में दर्शित किया हे वह अपने आप में ही दोषपूर्ण होना प्रमाणित है, जिससे अपीलार्थी गैरनिगराकार कमांका–1 किसी भी प्रकार से धारा–5 में बने हुये तीन घ्रटकों का लाभ प्रापत कर पाने कार अधिकारी नहीं है, बल्कि गैरनिगराकार कमांक–1 की अपील म्याद अधिनियम के अंतर्गत ही समायत किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि गैरनिगराकार कमांका1 द्वारा मृतक पक्षकारों के संबंध में जो आपत्ति अंकित की गई है वह पूर्णत दोषपूर्ण है क्यों कि उस संबंध में केवल मृतक के वारिसों को ही आपत्ति करने का अधिकार है। गैरनिगराकार को केवल अपने हित के संबंध में ही आक्षेप करने की अधिकारिता प्राप्त है। मृतक व्यक्ति जिनके वारिस मौजूद हैं और वह विचारण न्यायालय के आदेश से सहमत है, जिसके संबंध में किसी प्रकार से कोई लाभ गैरनिगराकर को प्राप्त ही नहीं होता । इसके बावजूद भी 18 वर्ष तक चले प्रकरण और पारित

हुये अंतिम आदेश को मात्र दोषपूर्ण मनोस्थिति के अंतर्गत चुनौती देने के उददेश्य से जो आधार लिया गया था वह भी दोषपूर्ण था जिससे भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4.2.17 निरस्त किये जाने का अनुरोध कियागया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर जिला रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.2.17 विधि एवं प्रकिया का पालन कर आदेश पारित किया गया है जो आदेश सही है तथा स्थिर रखे जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा तहसीलदार तहसील सिरमौर सर्किल गिर्द जिला रीवा के प्रकरण कमांक 70/अ–27/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 30.10.14 की जानकारी गैरनिगरानी कर्ता कमांका–1को नहीं थी। जानकारी होने के बाद गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.14 के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील में सभी बातों को लेख करते हुये अपील विलंब से प्रस्तुत करने में हुये विलंब के कारणों को लेख किया जाकर अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र सहित अधीनसी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिस पर निगरानीकर्तागणों द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का विधिवत् खण्डन नहीं किया गया तथ जबाव प्रस्तुत किया गया जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं का धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन पर तर्क सुना गया तर्क सुनने के बाद विधिवत आदेश पारित किया गया तथा गैर निगरानीकर्ता के अपील प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ था उसे धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलंब क्षमा किया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागणों द्वारा गलत तथ्यों को लेख कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि निगरानीकर्ता कमांक 3 ता 6 के पिता

रामावतार तनय बेटईराम साकिन सिरमौर के द्वारा जो खाता विभाजन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 को भेजे गये समंस में यह टीप लगाई गई है कि संबधित व्यक्ति मकान पर उपस्थित नहीं मिले पता चला कि शासकीय नौकरी पर बिलासपुर में रहते हैं, मूलतः संमंस वापिस, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.10.1996 के ओदेश पत्रिका में यह लेख कियाहै कि गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 नौकरी मेंबाहररहता है नौकरी का सही पता बताया जावे किन्तु बाद में कोई संमंस या सूचना नहीं भेजी गई तथा निगरानीकर्तागणों द्वारा गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 की ओर से अधिवक्ता पत्र फर्जी रूप से प्रस्तुत कराकर उपस्थिति दर्ज कराया एवं फर्जी हस्ताक्षर आदेश पत्रिकाओं में कराया गया वैसे भी जो अधिवक्ता पत्र गैरनिगरानीकर्ता कमांक–1 की ओर से संलग्न होना कहा जा रहा है, उसमें कांटपीट की गई है एवं कांट कर सुधार उन्मान किया गया है। गैर निगरानीकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर एक पक्षीय कार्यवाही करा कर आदेश पारित कराया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में राजस्व निर्णय 1995 पेज 230 नरेन्द्र सिंह तथा एक अन्य विरूद्व रंजीत तथा अन्य का साइटेशन भी प्रस्तुत किया गया है, तथा अन्य –6 साइटेश्न भी प्रस्तुत किये गये हैं। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4.2.17 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा वही तर्क दौहराये गये हैं जो निगरानी मेमों अथवा अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है। आवेदक एवं अनावेदक सहखातेदार हैं, सहखाते की भूमियां हैं जिसमें 1/5 का हिस्सेदार है तथा उक्त हिस्से में मौके पर काबिज दखिल है। अनावेदक को सूचना नहीं दी गई और उसको नोटिस जारी नहीं किया गया जो नोटिस जारी किया गया उसमें लेख किया गया कि वह मकान पर नहीं मिले। जबकि वह बिलासपुर में शासकीय सर्विस में सेवारत है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमोर द्वारा धारा–5 के आवेदन पर विस्तृत आदेश पारित किया गया है। उसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर जब अनावेदक को कोई सूचना संमंस की तामील ही नहीं हुई है तो उसे पक्ष समर्थन का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ तथा उसे विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हुई इससे स्पष्ट है कि जब उसे जानकारी विचारण न्यायालय की हुई तब उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुनकर आदेश पारित किया है तथा धारा–5 म्याद अधिनयिम का आवेदन पत्र समाधानकार होने के पश्चात ही उसे स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18/अ–27/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 4–2–2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर